

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

28/11/26

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 11,58,77,702/- (ग्यारह करोड़ अठावन लाख सतहत्तर हजार सात सौ दो रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 11,58,77,702/- (ग्यारह करोड़ अठावन लाख सतहत्तर हजार सात सौ दो रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है:-

क्र सं	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0 डी0	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय के लिए स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, सुपौल	29472	सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर अनुमंडल के बसंतपुर अंचल, मौजा-कोचगामा में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित)	344 / 04.10.2024	11,58,77,702/-

(ग्यारह करोड़ अठावन लाख सतहत्तर हजार सात सौ दो रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्यशीर्ष -4225-अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-04-अल्पसंख्यको के कल्याण, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष -0103-अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विपत्र कोड-03-4225040510103 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल, होंगे।
- इस राशि के निकासी जिला कोषागार, सुपौल से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 902 (अ) पटना, दिनांक- 28/11/26

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।